बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

मिसल नं0198/16

1. ज्ञानाराम पुत्र महादेव
2. रामकिशन पुत्र रूगनाथ
3. सीताराम पुत्र रूगनाथ.
4. नेनूराम पुत्र रूगनाथ
5. गुमानाराम पुत्र बिरदा
6. प्रेमचन्द पुत्र बिरदा
7. रामजीलाल पुत्र रामनाथ
8. छाजूराम पुत्र रामनाथ
9. लहरी पुत्र रामनाथ

जातियान मीणा निवासी टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. लालाराम पुत्र प्रभात
3. सीताराम पुत्र प्रभात
4. नानगराम पुत्र सूण्डाराम
5. बृजमोहन पुत्र सूण्डाराम
6. सोनी पत्नी सेडूराम

जातियान मीणा निवासी टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जयपुर।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा:—वकील प्रार्थीगण

आवेदन बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण

अन्तर्गत धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट

—:निर्णय:—

दिनांक 25/01/2018

प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रकरण भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जाकर कथन किया गया कि ग्राम टोडामीणा पटवार हल्का टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं0 1262 रकबा 1.15 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 1116 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त मालिकाना एवं स्वामित्व में स्थित है तथा हाल खसरा नं0 697 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि साबिक रिकार्ड अनुसार अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 के नाम खातेदारी में है एवं हाल खसरा नं0 686 रकबा 120.00 हैक्टेयर गै0मु0पहाड साबिक खसरा नं0 609 मि0 रकबा 474 बीघा 5 बिस्वा राज्य सरकार के अंकित है। जो कि हाल खसरा नं0 697 रकबा 0.25 हैक्टेयर अनुसार हाल नवीन राजस्व नक्शे में हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान् अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त व हक अधिकार के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण राजस्व नक्शा तरमीम होने से प्रार्थीगण के खसरा नं0 1262 की भूमि में आवागमन करना बाधित विवादित आराजीयात है। जो कि गत खसरा नं0 609 में से रकबा 1 बीघा भूमि अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के हित में आंवटन बाद खसरा नं0 609 मिन अनुसार खातेदारी अंकित होकर साबिक राजस्व नक्शा तैयार किया हुआ है, जिसमें अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारी मंगला का नाम अंकित किया गया, जिसके अनुसार ही अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 काबिज रहते आये है एवं हाल नवीन खसरा नं0 1262 रकबा 1.15 हैक्टेयर में पश्चिमी दिशा की ओर लगवा खसरा नं0 686 की भूमि राज्य सरकार के हित में स्थित है तथा खसरा नं0 686 में होकर दक्षिण से उत्तर सडक निर्मित होकर स्थित है तथा सडक से

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

प्रार्थीगण अपने खातेदारी खसरा नं0 1262 की भूमि सहित अपनी आवासीय ढाणी में आवागमन करते है। लेकिन दौरानें हाल सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नं0 686 की भूमि को अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के खातेदारी भूमि खसरा नं0 697 के नक्शे में उत्तरी दिशा की ओर शमिल करते हुए खसरा नं0 697 का रकबा बढा दिया गया, जिसके आधार पर अब अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 द्वारा प्रार्थीगण का आवागमन बन्द किये जाने एवं भूमि विवादित को अपने कब्जे में लेने की धमकियां देने एवं हाल नवीन खसरा नं0 697 की भूमि होने के कथन करने पर एवं प्रार्थीगण के आने जाने के उपयोग से बेदखल करने पर आमदा फिसाद है। इसके अलावा सैटलमेन्ट खसरा नं0 697 के राजस्व नक्शों की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नं0 697 के राजस्व नक्श में उत्तरी दिशा की ओर सलग्न नजरी नक्शे मे प्रदर्शित भूमि को हाल खसरा नं0 686 के नक्शे में शामिल किया जाकर खसरा नं0 697 की भूमि रकबा 0.25 हैकटेयर अनुसार रकबा बरारी करने व पुनः तरमीम करने हेतु दिनांक 16.11.2016 को अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थीगण ने निवेदन किया तो उन्होंने उक्त प्रकार की चाही गई तरमीम दूरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय में नक्शा दूरूस्तीकरण हेतु चाराजोही करने का निर्देश दिया, जिसके अनुसार प्रकरण पस्तुत है।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब करने पर अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 उपस्थित नहीं हो रहें है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं वाद पत्र के नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित शुद्धि हेतु कथन करते हुए जवाब रिपोर्ट तैयार कराते हुए दिनांक 07.11.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत प्रकरण के अप्रार्थी सं0 1 ने जाहीर किया कि विवादित भूमि का नक्शा रकबा बरारी करने पर प्रार्थीगण की भूमि के सामने के हिस्से को छोडकर अप्रार्थीगण के खसरा नं0 1270 के सामने ही खसरा नं0 697 रकबा 0.25 है0 की पूर्ति हो जाती है। एवं खसरा नं0 1262 के सामने खसरा नं0 697 रकबा 0.25 हैक्टेयर आता है। वह रकबा अधिक है। प्रार्थीगण के द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसमे जो जगह प्रस्तावित की गई है, वह रकबा अधिक है तथा खसरा नं0 697 के रकबा बरारी से अधिक है। इसके अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने हाजिर अदालत उपस्थित होकर उपरोक्त तथ्यों सहित कथन करते हुए कथित किया कि खसरा नं0 697 रकबा 0.25 हैक्टेयर का हाल नक्शा उत्तरी दिशा की ओर बढाते हुए प्रार्थीगण का आवागमन बाधित कर दिया गया है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस सुनने व उक्त तथ्यों अनुसार पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट सहित राजस्व रिकार्ड की जॉच व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तावित पर मनन करने व दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 697 के बनाये गये राजस्व नक्शे के अन्तर्गत उत्तर दिशा की ओर त्रूटिपूर्ण तरीके से अधिक भूमि तरमीम करते हुए रकबा बरारी व मौका कब्जे के विपरित होकर नक्शे में त्रूटिपूर्ण तरमीम होना पाया जाता है, जबकि साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा कायम होना चाहिए था, जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में खसरा नं0 697 की भूमि खसरा नं0 1270 के सामने तक पूर्ति होना पाया जाता है, जिसके अनुसार निर्णय किया जाकर ग्राम टोडामीणा में हाल खसरा नं0 1262 के दक्षिणी–पश्चिमी कार्नर व सामने तक, विवादित खसरा नं0 697 रकबा 0.25 हैक्टेयर के हाल नक्शे में उत्तर दिशा की ओर बढी हुई तरमीम को निरस्त करने व तदानुसार भूमि को खसरा नं0 686 के नक्शे में शामिल करने हेतु नक्शा दूरूस्तीकरण करने का आदेश दिया जाता है एवं तद्नुसार हाल नवीन खसरा नं0 697 के रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे की तरमीम उत्तरी ओर दुरूस्त फरमाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय जारी हो, भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।